

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजगहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर


क्रमांक : एफ 13(1)() सा0सु0/NAP SrC/वृक/सान्याअवि/2022/55502

जयपुर, दिनांक: 15.9.2022

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राज्य में वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित अनकवर्ड जिलों यथा (1) सिरोही (2) बाँसवाड़ा (3) भीलवाड़ा (4) हनुमानगढ़ (5) झुंझुनू (6) नागौर (7) प्रतापगढ़ (8) सीकर (9) टोंक (10) चुरू जिला मुख्यालयों पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 25 वृद्धजन की आवासीय क्षमता के वृद्धाश्रम (Old Age Home) का वृद्धाश्रम संचालन नियम, 2006 के तहत संचालन किया जाना है। इसके लिये वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्यरत पंजीकृत इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रस्ताव दिनांक 14.10.2022 तक संबंधित जिला कार्यालय में कार्यालय समय तक आमंत्रित किये जाते हैं।


विस्तृत विवरण एवं वृद्धाश्रम संचालन हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप वृद्धाश्रम संचालन नियम-2006 विभागीय वेबसाईट [www:http//sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in) पर देखे जा सकते हैं या संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।


(हरि मोहन मीना)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 13(1)() सा0सु0/NAP SrC/वृक/सान्याअवि/2022/55503-09 जयपुर, दिनांक: 15.9.2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि राज0 जयपुर
2. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर को देकर लेख है उक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति का राज्य स्तर के एक समाचार-पत्र में प्रकाशन करावें।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, मुख्यालय को देकर लेख है कि उक्त सूचना को विभाग की वेबसाईट [www:http//sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in) पर भी अपलोड करावें।
4. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
7. रक्षित पत्रावली।


15/9/22
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

(1) सिरोही (2) बाँसवाड़ा (3) भीलवाड़ा (4) हनुमानगढ़ (5) झुंझुनू (6) नागौर (7) प्रतापगढ़ (8) सीकर
(9) टोंक (10) चुरू जिलों हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी :-

1. चयनित संस्था को वृद्धाश्रम संचालन की अनुमति प्रथमतः एक वर्ष के लिये 25 वृद्धजनों की क्षमता का होगा तथा निरीक्षण दौरान संतोषजनक व्यवस्थाएँ पाये जाने पर वृद्धाश्रम का संचालन निरंतर रखा जायेगा।
2. चयनित संस्था को वृद्धाश्रम संचालन नियम, 2006 की पूर्ण पालना बिना किसी शर्त के किये जाने का बंध-पत्र रु: 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने पर ही वृद्धाश्रम संचालन की स्वीकृति दी जायेगी।
3. स्वयं सेवी संस्था को वृद्धाश्रम संचालन नियम, 2006 एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अनुदान देय होगा।
4. स्वयंसेवी संस्था/संगठन जो सोसायटी एक्ट/ट्रस्ट (न्यास) एक्ट/कम्पनी एक्ट में पंजीकृत हों।
5. स्वयंसेवी संस्था/संगठन का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक होगा।
6. स्वयंसेवी संस्था/संगठन का विगत 03 वित्तीय वर्ष का ऑडिट स्टेटमेन्ट (प्राप्ति व भुगतान, आय-व्यय स्टेटमेन्ट)।
7. स्वयंसेवी संस्था/संगठन का विगत 03 वित्तीय वर्ष का बैलेस शीट हो।
8. स्वयंसेवी संस्था/संगठन को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्टेड अन्यथा डिफाल्टर नहीं करने की घोषणा पत्र आवश्यक होगा।
10. चयनित स्वयंसेवी संस्था/संगठन द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में वृद्ध आवासी पुरुषों व महिलाओं को अलग-अलग विंग में रखा जावेगा।

विस्तृत विवरण एवं वृद्धाश्रम संचालन हेतु आवेदन का प्रारूप के लिये वृद्धाश्रम संचालन नियम-2006 विभागीय वेबसाईट (<http://sje.rajasthan.gov.in>) पर देखे जा सकते हैं एवं संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

वृद्धाश्रम नियम, 2006 के अंतर्गत आवेदन पत्र

- 1 संगठन/संस्था का नाम :
पता :

- फोन नम्बर :
मोबाईल नम्बर :
फैक्स :
- 2 किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है :
रजिस्ट्रेशन संख्या व रजिस्ट्रेशन की तारीख :
व विधान एवं उद्देश्यों की प्रति (सत्यापित प्रति लगाएं)
- 3 विदेशी अभिदाय अधिनियम के अंतर्गत :
रजिस्ट्रेशन (यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्राप्त सहायता का सत्यापित विवरण)
- 4 प्रबंध मंडल/शासी निकाय के सदस्यों के :
नाम एवं पता तथा वर्तमान प्रबंध मंडल के गठन की तारीख (सत्यापित प्रतियाँ)
- 5 संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :
(1) पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति जिसमें तुलनापत्र हो
(2) संगठन/संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों की प्राप्ति व भुगतान लेखा (आय-व्यय का सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखे)
- 6 संस्था की चल व अचल सम्पत्तियों का :
प्रमाणित ब्यौरा
- 7 परियोजना का विस्तृत विवरण (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) :
(1) क्षेत्र जहाँ परियोजना प्रारम्भ की जानी है अथवा की जा रही है, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का विवरण :
(2) सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों का लक्ष्य समूह (महिला/पुरुष)। यदि केन्द्र महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए है तो उनके रहने की पृथक्-पृथक् व्यवस्था की विवरण। (परियोजना के मानचित्र में पृथक्-पृथक् दर्शाया जाये)

- (3) प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं :
सेवाओं तथा लाभार्थियों से लिया जाने वाला प्रभार, यदि कोई हो तो उनका विवरण
- (4) योजना के संचालन में संगठन की :
विशेषज्ञता एवं अनुभव का विवरण
- (5) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के :
अन्य विभागों से ऐसी परियोजना के लिए प्राप्त अनुदानों का विवरण (यदि कोई हो)
- 8 संस्था का बैंक खाता संख्या (बैंक के :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

नाम व स्थान सहित)
- 9 गत तीन वर्षों के बैंक से आहरण एवं :
जमा का प्रमाणित विवरण
- 10 नियोजित स्टाफ का विवरण (नाम, पद, :
आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रदान किये जा रहे मानदेय का विवरण)
- 11 संस्था द्वारा आहरण-वितरण हेतु प्राधिकृत :
पदाधिकारी का नाम, पता, दूरभाष संख्या के साथ ही इन्हें इस कार्य हेतु प्राधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति

हस्ताक्षर (प्राधिकृत पदाधिकारी) :
नाम :
पता/मोहर :
तारीख :

शपथ-पत्र

(शपथ-पत्र रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है)

मैंने इस योजना को पढ़ लिया है और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। मैं इस योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर (प्राधिकृत पदाधिकारी):
नाम :
पता/मोहर :
तारीख :